न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 46/2026

01. रामेष्वर गोदारा पुत्र मनीराम गोदारा जाति जाट निवासी चक 34 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–17.03.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा की बजाय रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम दर्ज है व उक्त रकबा पर कब्जा वादी का निरंतर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। वादी साक्षर है तथा केवल हस्ताक्षर करना जानता है। जब उक्त रकबा का दानपत्र लिखा गया उस समय वादी को रामेष्वरल लाल पुत्र मनीराम के नाम से ही पुकारते थे इसलिए दानपत्र लिखते समय वादी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम ही लिख दिया गया तथा उक्त दाननपत्र का नामान्तरण सं0 404 दिनांक 05.07.22 में भी रामेष्वरलाल पुत्र मनीराम के नाम से दर्ज हो गया। वादी अपने उक्त रकबा की फार्मर आईडी बनवाने के लिये गया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम रामेष्वरलाल पुत्र मनीराम है व फोटो पहचान दस्तावेजों में आपका नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा है इसलिए आप अपने नाम की रिकॉर्ड में शुद्धि करवा लेवें, तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम होने की जानकारी मिली जबकि वादी के समस्त दस्तावेज रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा नाम से बने हुए है। वादी को उसके चक में रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम व रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा दोनों ही नामों से जानते व पहचानते है तथा वादी ही रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम व रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा है ये दोनों नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना पहचाना जाता है तथा वादी के समस्त पहचान दस्तावेजें जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचयपत्र, मूलनिवास आदि में भी वादी का नाम रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा ही अंकित है तथा वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकारी है तथा मामला काबिले दुरूस्ती के है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत होने के कारण वादी को अनेक परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सरकारी योजनाओं, अनुदान आदि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा ना ही वादी को बैंक द्वारा केसीसी ऋण दिया जा रहा है। जिस कारण वादी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। अतः घोषणात्मक वाद पेष कर निवेदन है कि वादी के नाम चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम की जगह रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्रप्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र, मूलनिवास इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 34 केवाईडी मु0नं0 202/20 के किला नं0 16 ता 25 रकबा 2.5290 हैक्टर भूमि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम की जगह रामेष्वर गोदारा पुत्र मनी राम गोदारा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम रामेष्वर लाल पुत्र मनीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)